न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ, जिला बांसवाडा(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार गढवाल,आर.जे.एस.

मुत. प्रकरण संख्याः— (CIS.NO 02/2017)

एफ.आई.आर. नंबर— 337/2017 पुलिस थाना कुशलगढ़

प्रार्थी मुकेश बनाम राज्य सरकार

उपस्थितः—

1—श्री अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

2—श्री दलसिंह अधिवक्ता प्रार्थी/वाहन स्वामी की ओर से।

::: **आदेश** :::: दिनांकः— 05.01.2018

अभियोजन अधिकारी उपस्थित। प्रार्थी मुकेश उम्र 33 साल पुत्र धर्मेन्द्र, जाति पणदा भील, निवासी मगरदा खतेलासाथ, पुलिस थाना सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा (राज.) मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ने **वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 03/एस.एन. 1007** को सुपर्दगी में लोटाए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल योग्य अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र विविध फौजदारी दर्ज रजिस्टर हो।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्ता का वाहन रिलिज प्रार्थना पत्र बाबत सुनी गई। पत्रावली पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वे उक्त वाहन के पंजिकृत स्वामी है। वाहन को कुशलगढ़ थाने में तहवील में लिया हुआ हैं, जिसे कि पुलिस थाना के खुले अहाते में छोड रखा है। जिसके मूल्यवान पार्टस इंजिन, टायर, टयूब पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की/नष्ट होने की पूरी संभावना है तथा उक्त वाहन की पुलिस को अग्रिम अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं हैं। उक्त वाहन की प्रार्थी को अपने घरेलु कार्य हेतु निजी आवश्यकता है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन सुपर्दगी में लौटाया जावे।

केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से मूल दस्तावेज के रूप में आर.सी., आधार कार्ड पेश किये, जिसका अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मूल दस्तावेज प्रार्थी को लौटाये गये। प्रार्थी वाहन का पंजिकृत स्वामी है। वाहन चोरी के प्रकरण मे बरामद हुआ है। प्रार्थी को उक्त वाहन की अपने घरेलू एवं व्यावसायिक कार्यो के उपयोग हेतु आवश्यकता रहती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा **वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 03/एस.एन. 1007** को सुपर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत होता है। नही जताई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा को सुपर्दगी में दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपर्दगीनामा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि, यदि प्रार्थीगण 70,000/–रूपये अक्षरे सत्तर हजार रूपये की राशि में सुपर्दगीनामा व इसी राशि में जमानतनामा निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा देवें कि:–

1– प्रार्थी दौराने विचारण उक्त वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नही करेगा तथा वाहन को सुरक्षित हालत में अपने कब्जे में रखेगा, खुर्द बुर्द नहीं करेगें।

2– वाहन के रंग, रूप, रोगन आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगें।

3– वाहन को खुर्द बुर्द नहीं करेगें।

4– दौराने विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यकता होने पर प्रार्थी उक्त वाहन को न्यायालय के आदेशानुसार स्वयं के खर्च पर बतौर वजह सबूत उपलब्ध करवायेगा।

तो उक्त जब्तशुदा वाहन को बाद तीन रंगीन फोटो खिचवाने एवं बाद पंचनामा नियमानुसार बनाकर प्रार्थी मुकेश उम्र 33 साल पुत्र धर्मेन्द्र, जाति पणदा भील, निवासी मगरदा खतेलासाथ, पुलिस थाना सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा (राज.) को सुपर्दगी पर दे दिया जावे। आदेश सुनाया गया।

आदेशानुसार प्रार्थी ने सुपर्दगीनामा एवं जमानतनामा पेश किए, जिन्हें बाद जांच तस्दीक किए गये जो शामिल मिसल रहे। संबंधित थानाधिकारी को **वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 03/एस.एन. 1007** की अन्य किसी मामले में आवश्यकता नहीं हो तो बाद रसीद प्रार्थी को सुपर्द कर दिये जाने तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र मय कागजात फैसल शुमार होकर संबंधित एफ.आई. आर. के साथ संलग्न हो।

(दिनेश कुमार गढवाल)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुशलगढ़, जिला बांसवाडा(राज.)